FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत सहायक कलक्टर (SDO) नावां ...... मुकाम ......

खंगारराम ...... बनाम ...... दलाराम वगैरा

किस्म मुकदमा रा. आवेदन 111, 128 RLR Act नं. 93/19 सन 2019

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13.3.19	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री खेताराम जारवड़ ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 111, 128 RLR राजस्थान काश्तकारी/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 25/3/19 को पेश हो।	
25/3/2019	प्रार्थी वकील उपस्थित। अप्रार्थीगणों के नोटिस तामिल शुदा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थीगण बावजूद तामिल अनुपस्थित। श्रीमान पीठासीन अधिकारी चुनाव मिटिंग में जयपुर पधारे हुए है। अतः मिसल इन्तजार होकर आगामी दिनांक 10/06/19 को पेश हो।	
10/06/19	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगण बावजूद तामिल अनुपस्थित। श्रीमान पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त होने से मिसल इन्तजार होकर आगामी दिनांक 24/09/19 को पेश हो।	

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.24 17:57:28 IST
Reason: SelfAttested

24/09/19 प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगण अनुपस्थित। श्रीमान पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त होने से मिशल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 11/12/2019 को पेश हो।

क/वाद/2019/

11/12/19 प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगण बावजूद तामिल अनुपस्थित। न्यायालय समय तीन बार आवाज लगाई गई अन्तिम आवाज 5.45 pm पर लगाई गई विप्रार्थीगण स्वयं या उनकी ओर से कोई अभिवक्ता उपस्थित नही हुआ। लिहाजा उसके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थी के अभिवक्ता की एक पक्षीय बहस सुनी गई, प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के मध्य खेत की सीमाओं को लेकर हर समय विवाद की स्थिति बनी रहती है। इसलिए प्रार्थी द्वारा अपने खेत की पक्की मेरखमवंदी करवाने हेतु यह मेरखमवंदी आवेदन पेश किया गया है इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मेरखमवंदी आवेदन को स्वीकार किया जाकर मेरखमवंदी आदेश किया जावें।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मेरखमवंदी आवेदन को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार आपतु को कामिश्नर एवं नियुक्त किया जाता है व आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या अपने अधिनस्थ किसी भी भू० अ० निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की मेरखमवंदी मौके पर कमिश्नर शुल्क जमा कराकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो। आदेश अलग से लिखा जाकर शामिल पत्रावली हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.24 17:57:28 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बायतु

ांक / वाद / 2019 / 990 दिनांकः– 11/12/19

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1. खंगाराराम पुत्र बालाराम वगैरा जाति जाट निवासी सांईयों का तला तहसील बायतू जिला बाड़मेर		1. दलाराम पुत्र खेताराम वगैरा निवासी सांईयों का तला तहसील बायतु जिला बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या 93 / 19

आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा सांईयों का तला पटवार हल्का लुनाड़ा तहसील बायतू जिला बाड़मेर के खेत खसरा नम्बर 1600 रकबा 54.15 बीघा की भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है खातेदार को अधिकार है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान / नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थी क़ा आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है वह तहसीलदार बायतू को कमीशनर व संबंधिंत भू अभिलेख निरिक्षक को सहायक कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है। कि कमीशनर स्वंय या सहायक कमीशनर से प्रार्थीगण के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमीशनर शुल्क रूपयें 500 जमा करा कर करें एवं पालना रिपार्ट पेश करें। तथा अपेक्षित होने पर संबंधित थाना अधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु आपको अधिकृत किया जाता है।

आदेश सरे ईजलास सुनाया गया।

11.12.2019

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक / वाद / 2019 / 991–95 दिनांकः– 11/12/19

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु
2. पटवारी लुनाड़ा को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थीगण श्री खंगाराराम वगैरा
4. विप्रार्थीगण श्री दलाराम वगैरा
5. थानाधिकारी, पुलिस थाना, गिड़ा / बायतु / नागाणा ।

sd/-

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

उपखण्ड अधिकारी बायतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.24 17:57:28 IST
Reason: SelfAttested